

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-126/2018-19

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
12.12.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 27.1.19 ^{08.02.2019} को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 27.1.19 ^{08.02.2019} को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Deen</i> 12.12.19</p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
27.01.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 08.02.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 08.02.2019 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Deen</i> 27.1.19</p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
08.03.2019	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के पत्रांक-86(B), दिनांक-27.02.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 02.03.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक/आवेदिका मुन्नीलाल केशरी, पिता/पति- स्व० शम्भू केशरी, जाति- ताँती (अ.पि.वर्ग.), ग्राम- छोटानागरा, पो०+थाना- छोटानागरा, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा- छोटानागरा, थाना- छोटानागरा, थाना नं०- 34, खाता नं०- 158, प्लॉट नं०- 1220, रकवा- 0.50 ए०, क्रेता मुरली दास, पिता/पति- स्व० कुर्सी दास, जाति- ताँती (अ.पि.वर्ग.), ग्राम- छोटानागरा, थाना- छोटानागरा, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका मुन्नीलाल केशरी, पिता/पति- स्व० शम्भू केशरी, जाति- ताँती (अ.पि.वर्ग.), ग्राम- छोटानागरा, पो०+थाना- छोटानागरा, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता का थाना- छोटानागरा, जिला-प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति- ताँती (अ.पि.वर्ग.), समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात बिक्रेता को मनोहरपुर अंचल अंतर्गत रकवा- 3.19¹/₂ ए०, अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बिक्रेता मुन्नीलाल केशरी, पिता/पति- स्व० शम्भू केशरी, जाति- ताँती (अ.पि.वर्ग.), ग्राम- छोटानागरा, पो०+थाना- छोटानागरा, को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) रुपये में बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराये। लेखापित</p> <p style="text-align: right;"><i>Deen</i> 8.3.19</p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	